उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-28/2021/आई/119525(1)/ 41-1002(001)/163/2021
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद कुशीनगर में खड्डा वि0 स0 क्षे0 में स्थित सिद्धपीठ बगही धाम नेबुआ नौरंगिया के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-699/2021/आई/119525/41-1002(001)/163/2021, दिनांक 06.12.2021 के पृष्ठांकन सं0-03 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 06.12.2021 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदशालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबंधक, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0, गोरखपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल, गोरखपुर।
10. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।